



उ0प्र0 लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
ए-5/ई-1/2019
दिनांक: 30.12.2019

सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/ विशेष चयन) परीक्षा-2019

आन-लाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि:- 30 दिसम्बर, 2019
आनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि:- 27 जनवरी, 2020
आनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की
अन्तिम तिथि:- 30 जनवरी, 2020

महत्वपूर्ण

- यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित/आवश्यक सूचना छिपायी जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारम्भ की जा सकती है।
- अभ्यर्थियों को अपने आन-लाइन आवेदन की हार्ड कापी के साथ आनलाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञापित के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना:- (क) "बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा शुल्क के रूप में जमा की गई कोई भी धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।"

(ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कॉलम में अपना मोबाइल नं0 और मान्य ई-मेल आईडी देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं0 पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एसएमएस द्वारा भेजे जायेंगे तथा ई-मेल उनके मान्य ई-मेल आईडी पर प्रेषित किये जायेंगे।

आन-लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की website <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु 'आन-लाइन' आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

1. आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATION/ ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं-

- 1- User Instructions
- 2- View Advertisement
- 3- Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें "आन-लाइन आवेदन पद्धति" लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित "Sample Snapshots" भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु "Apply" पर Click करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा :-

प्रथम स्तर - Apply Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो Edit button पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय स्तर - प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर "Click here to proceed for payment" कैप्शन के साथ 'Fee to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक MOPS (Multi Option Payment System) का Home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे। (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES, उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् "Payment Acknowledgment Receipt (PAR)" प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय स्तर - द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Proceed for final submission of application form' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिये। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता तो आवेदन को आन-लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "PREVIEW" को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद आन-लाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. आवेदन शुल्क : आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क

निम्नानुसार है :-

- | | |
|---|--|
| (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग | - परीक्षा शुल्क ₹ 200/- + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 225/- |
| (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | - परीक्षा शुल्क ₹ 80/- + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 105/- |
| (iii) दिव्यांग श्रेणी | - परीक्षा शुल्क NIL + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 25/- |
| (iv) भूतपूर्व सैनिक | - परीक्षा शुल्क ₹ 80/- + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 105/- |

(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला - अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3. ऐसे अभ्यर्थी, जो उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका Basic Registration स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने/प्रतिवारण अवधि बढ़ाये जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4. **सबमिट किये गये आवेदन में संशोधन:** आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, Aadhaar Number तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है, को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमत्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

"अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को क्लिक (Click) करना होगा। Click करने के पश्चात् "Candidate Personal Details" Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं., जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender) निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात् Verification Code अंकित करने के बाद 'Proceed Button' पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् अभ्यर्थी का 'Authentication OTP (one time password) के द्वारा होगा। OTP अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी Option Box में भरेगा। इसके पश्चात् 'Proceed' बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Form में वांछित संशोधित यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form 'submit' किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमत्य होगी।"

5. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेंगे। केवल उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा जो उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित होंगे। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। कतिपय पदों पर चयन उनकी सेवा- नियमावलियों में दी गई व्यवस्था के अनुसार केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना अभ्यर्थियों को ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जायेगी। अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

6. रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है:-

(i) सामान्य चयन

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	रिक्तियों की संख्या	शाखा
1.	सिंचाई विभाग	सहायक अभियन्ता (सिविल)	171	सिविल
2.	सिंचाई विभाग	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	73	यांत्रिक
3.	लघु सिंचाई विभाग	सहायक अभियन्ता (कृषि)	09	कृषि
4.	लघु सिंचाई विभाग	सहायक अभियन्ता (सिविल)	04	सिविल
5.	लघु सिंचाई विभाग	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	05	यांत्रिक
6.	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	सहायक अभियन्ता (सिविल)	57	सिविल
7.	लोक निर्माण विभाग	सहायक अभियन्ता (सिविल)	108	सिविल
8.	लोक निर्माण विभाग	सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	46	विद्युत/यांत्रिक
9.	मण्डी परिषद	सहायक अभियन्ता (सिविल)	31	सिविल
10.	मण्डी परिषद	सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	05	विद्युत/यांत्रिक
11.	आवास एवं शहरी नियोजन	सहायक अभियन्ता (सिविल)	26	सिविल
12.	आवास एवं शहरी नियोजन	सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	25	विद्युत/यांत्रिक
13.	नगर विकास विभाग	सहायक अभियन्ता (सिविल)	24	सिविल
14.	नगर विकास विभाग	सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	06	विद्युत/यांत्रिक
15.	नगर विकास विभाग	सहायक अभियन्ता (जल)/'बी' श्रेणी जलकल अभियन्ता	19	सिविल/विद्युत यांत्रिक
16.	चिकित्सा विभाग	सहायक अभियन्ता (सिविल)	04	सिविल
17.	पंचायती राज विभाग	अभियन्ता	01	सिविल
18.	कृषि विभाग	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' (अभियन्त्रण शाखा)	12	कृषि
19.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	भूमि संरक्षण अधिकारी/प्राविधिक अधिकारी	31	कृषि/सिविल
20.	ऊर्जा विभाग	सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा	21	विद्युत
21.	श्रम विभाग	सहायक निदेशक कारखाना	13	सिविल/यांत्रिक/विद्युत/रासायनिक/औद्योगिक
22.	श्रम विभाग	सहायक निदेशक ब्यायलर	01	यांत्रिक
		कुल योग	692	

continued.

(ii) विशेष चयन			
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	रिक्तियों की संख्या
1.	नगर विकास विभाग	सहायक अभियन्ता (जल) / 'बी' श्रेणी जलकल अभियन्ता	18 (SC/ST/OBC)
2.	मण्डी परिषद	सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक)	02 (OBC)
		कुल योग	20

वेतनमान : ₹ 15,600 / - - ₹ 39,100 / - ग्रेड वेतन - ₹ 5,400 / -

नोट- शासन के अनुरोध पर विशेष परिस्थिति में रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

7. **आरक्षण :** उ०प्र० की अनुसूचित जातियों / उ०प्र० की अनुसूचित जनजातियों / उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों / उ० प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा- उ०प्र० के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित / महिला अभ्यर्थियों / उ०प्र० के भूतपूर्व सैनिकों / उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा। उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा।

नोट-(1) शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक-26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/2006 दिनांक-09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान, "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमत्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमत्य है" को रिट याचिका संख्या-11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक-09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा. न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। (2) आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित तथा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (3) उ०प्र० के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। (4) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। (5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/ आयु में छूट का लाभ अनुमत्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

8. **आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्त:-** (केवल आयु में छूट हेतु) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या-22/10/1976 -कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:- (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमत्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो। एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान को गई हो।

9. **वैवाहिक प्रारिथति :-** ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

10. **शैक्षिक अर्हताएं:**

क्र.सं.	पदनाम/विभाग का नाम	अर्हताएं
1.	सहायक अभियन्ता (सिविल/यांत्रिक) (सिंचाई विभाग, उ०प्र०) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 1 व 2)	अनिवार्य:- 1. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से, यथास्थिति सिविल या यांत्रिक अभियंत्रण में उपाधि रखता हो, या (2) इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) का, यथास्थिति, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक अर्ह एसोसिएट मेम्बर हो। अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या (3) प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।
2.	सहायक अभियन्ता (कृषि/सिविल/यांत्रिक) (लघु सिंचाई विभाग, उ०प्र०) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 3, 4 व 5)	अनिवार्य:- कृषि, सिविल या यांत्रिक अभियंत्रण में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) से सिविल या यांत्रिक अभियंत्रण में सेक्शन-ए एण्ड बी में एसोसियेटेड मेम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
3.	सहायक अभियन्ता (सिविल) (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 6)	अनिवार्य:- (1) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या (2) पूर्णतया अर्ह सहयुक्त सदस्य जिसने सिविल अभियंत्रण में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) का भाग 'क' और 'ख' उत्तीर्ण कर लिया हो। अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
4.	सहायक अभियन्ता (सिविल) (लोक निर्माण विभाग एवं मण्डी परिषद) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 7 व 9)	अनिवार्य:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होना चाहिए। अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का

क्र.सं.- 7 व 9)	"बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या (3) प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।
5.	सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) (लोक निर्माण विभाग एवं मण्डी परिषद) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 8 व 10) अनिवार्य:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिक अभियान्त्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो, या विद्युत या यांत्रिक अभियान्त्रिकी में सिटी एण्ड गिल्ड इन्स्टीट्यूट (इम्पीरियल कालेज ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, साउथ केनसिंगटन) की सहयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण हो या विद्युत अभियान्त्रिकी या यांत्रिक अभियान्त्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स लन्दन की सहयुक्त सदस्यता परीक्षा के 'क' और 'ख' खण्ड उत्तीर्ण हो। या विद्युत अभियान्त्रिकी या यांत्रिक अभियान्त्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का पूर्णतया अर्ह सहयुक्त सदस्य हो। या विद्युत या यांत्रिक अभियान्त्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) की खण्ड 'क' और 'ख' उत्तीर्ण हो। अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
6.	सहायक अभियन्ता (सिविल) (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 11) अनिवार्य:- भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से सिविल अभियन्त्रण में उपाधि। अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
7.	सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 12) अनिवार्य:- भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिक अभियन्त्रण में उपाधि। अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
8.	सहायक अभियन्ता (सिविल) (नगर विकास विभाग) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 13) अनिवार्य:- भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा जो इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) द्वारा मान्य हो और जिसके आधार पर अभ्यर्थी उक्त इन्स्टीट्यूशन के एसोसिएट मेम्बरशिप परीक्षा के सेक्शन 'ए' तथा 'बी' से मुक्त हो या अभ्यर्थी ने सिविल इंजीनियरिंग में इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) की एसोसिएटशिप परीक्षा के सेक्शन 'ए' तथा 'बी' अवश्य पास कर लिये हों। अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
9.	सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) (नगर विकास विभाग) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 14) अनिवार्य:- भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री जो इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) द्वारा मान्य हो और जिसके आधार पर अभ्यर्थी उक्त इन्स्टीट्यूशन के एसोसिएट मेम्बरशिप परीक्षा के सेक्शन 'ए' तथा 'बी' से मुक्त हो या अभ्यर्थी ने मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) की एसोसिएट मेम्बरशिप परीक्षा के सेक्शन 'ए' तथा 'बी' अवश्य पास कर लिये हों। अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
10.	सहायक अभियन्ता (जल) / 'बी' श्रेणी जलकल अभियन्ता (नगर विकास विभाग) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 15) अनिवार्य:- भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री जो इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) द्वारा मान्य हो और जिसके आधार पर अभ्यर्थी उक्त इन्स्टीट्यूशन के एसोसिएट मेम्बरशिप सेक्शन 'ए' तथा 'बी' से मुक्त हो या अभ्यर्थी ने सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का सेक्शन 'ए' तथा 'बी' अवश्य पास किया हो। अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
11.	सहायक अभियन्ता (सिविल) (चिकित्सा विभाग) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 16) अनिवार्य:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या (ख) इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) सिविल अभियन्त्रण शाखा का सहयुक्त सदस्य। अधिमानी:- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो परन्तु सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद के लिए अभ्यर्थी जो एक प्रशिक्षु है की अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में अधिमान दिया जाएगा।
12.	अभियन्ता (पंचायती राज विभाग) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 17) अनिवार्य:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
13.	उ०प्र० कृषि सेवा समूह 'ख' (अभियन्त्रण शाखा) (कृषि विभाग) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 18) अनिवार्य:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अधिमानी:- (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियन्त्रण स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (ii) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (iii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
14.	भूमि संरक्षण अधिकारी / अनिवार्य:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि/

<p>प्राविधिक अधिकारी (सिंचाई एवं जल संसाधन विकास विभाग) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 19)</p>	<p>सिविल अभियन्त्रण में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अधिमानी:- भूमि संरक्षण और जल प्रबन्धन में डिप्लोमा। (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा।</p>
<p>15. सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा (ऊर्जा विभाग) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 20)</p>	<p>अनिवार्य:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि अवश्य प्राप्त की हो या इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के विद्युत अभियन्त्रण का एसोशिएट मेम्बर अवश्य हो। अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>
<p>16. सहायक निदेशक, कारखाना (श्रम विभाग) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 21)</p>	<p>अनिवार्य:- (क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा (ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, या इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग की किसी एक शाखा में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (ग) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।</p>
<p>17. सहायक निदेशक, ब्यायलर (श्रम विभाग) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 22)</p>	<p>अनिवार्य:- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता के साथ ब्यायलर के अभिकल्प संरचना, संचालन या अनुरक्षण में दो वर्ष से अनूयन का व्यवहारिक प्रशिक्षण। (ख) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।</p>

11. आयु सीमा:- अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2019 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1979 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1998 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1964 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट:-** (क) उ0प्र0 की अनुसूचित जाति, उ0प्र0 की अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणतत्पर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1974 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(ग)** उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये जिन्होंने सेना में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी परन्तु आरक्षण देय नहीं होगा।

नोट-(i) चिकित्सा विभाग के सहायक अभियन्ता (सिविल), सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता (सिविल, यांत्रिक) तथा लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता (सिविल) (रिक्तियों की तालिका में क्र.सं.- 1, 2, 7 व 16) पदों हेतु - "एसे अभ्यर्थी के मामले में जो प्रशिक्षणार्थी है, उच्चतर आयु सीमा एक वर्ष अधिक होगी।" (ii) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के सहायक अभियन्ता (सिविल) तथा सहायक अभियन्ता (वि0/या0) (रिक्तियों की तालिका क्र.सं.- 9 व 10) पदों हेतु:- "सिविल अपील संख्या-4092/2001 स्टेट आफ उ0प्र0 पिटीशनर बनाम नीरज अवस्थी व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2005 से आच्छादित मण्डी परिषद/मण्डी समितियों की सेवा से पृथक किये गये कार्मिकों को उक्त निर्णय से आच्छादित होने के साक्ष्य सहित आवेदन करने पर अधिकतम आयु सीमा में अधिवर्षिता आयु की सीमा तक छूट अनुमत्य होगी। किसी भी स्तर पर किसी आवेदक के वास्तव में उक्त निर्णय से आच्छादित न होना पाये जाने पर उसका आवेदन शून्य समझा जायेगा और अग्रतर उसका कोई दावा मान्य नहीं होगा।" आयु सीमा तक छूट इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमत्य होगी कि उनके पास अधिवर्षिता आयु से पूर्व पर्याप्त समय उपलब्ध हो, जिससे कि चयन होने की दशा में वे अधिवर्षिता से पूर्व चयनित पद पर योगदान कर सकें। (iii) नगर विकास विभाग के सहायक अभियन्ता (सिविल) तथा सहायक अभियन्ता (वि0/या0) (रिक्तियों की तालिका क्र.सं.- 13 व 14) पदों हेतु "किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी भी केन्द्रीयित सेवा अथवा पालिका में एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा कर ली हो, अधिकतम आयु निरन्तर सेवा अथवा सात वर्ष की अवधि, इसमें जो भी कम हो, की सीमा तक अधिक होगी।" (iv) आवास एवं शहरी नियोजन के सहायक अभियन्ता (सिविल, विद्युत/यांत्रिक) (रिक्तियों की तालिका क्र.सं.- 11 व 12) पद हेतु- "(क) ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जिसने विकास प्राधिकरण की किसी सेवा में एक वर्ष या अधिक की सेवा पहले ही कर ली हो, अधिकतम आयु-सीमा उतने वर्ष, जितनी उसने निरन्तर सेवा की हो या सात वर्ष की अवधि के लिये, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी। (ख) ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी आयु के सम्बन्ध में ऐसे किसी वर्ष में जिसमें कोई चयन न किया जाये, किन्तु कोई रिक्ति रही हो, किसी चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार था, अपनी आयु के सम्बन्ध में अगले चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार समझा जायेगा।" (v) सहायक अभियन्ता (जल)/ "बी" श्रेणी जलकल अभियन्ता (रिक्तियों की तालिका क्र.सं.- 15) पद हेतु- "(क) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने यथास्थिति, किसी भी केन्द्रीयित सेवा या पालिका या जल संस्थान की किसी सेवा में एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा कर ली हो, अधिकतम आयु निरन्तर सेवा अथवा 7 वर्ष इसमें से जो भी कम हो, की सीमा तक अधिक होगी। (ख) यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी आयु के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार था, जिसमें कोई चयन नहीं किया गया हो तो वह अपनी आयु के आधार पर ठीक पश्चातवर्ती चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार समझा जायेगा।"

12. परीक्षा के सम्बन्ध में कतिपय सूचनार्य:- (1) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित होंगे। (2) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। (3) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (4) परीक्षा की तिथि एवं केन्द्र की सूचना आयोग द्वारा ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से बाद में दी जायेगी। (5) साक्षात्कार के लिये सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

नोट :- अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में किये गये समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा।

13. अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश:- (1) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी

भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 5 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। (2) आन-लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, नाम व पते का जो दावा किया जायेगा, वही मान्य होगा। इसके बाद कोई भी परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा 'गलत' /भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। (3) हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (4) परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (5) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शाश्वतिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किये गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमत्य होगा। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम की धारा-3 के अनुसार पदों का नया चिन्हांकन अभी शासन से नहीं प्राप्त हुआ है अतएव नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अध्याचन में दिव्यांग रिक्तियों का जो चिन्हांकन (श्रेणी/उपश्रेणी) प्राप्त होगा उसी के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी। (6) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्रों के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। (8) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। (9) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर तथा त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर, आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (10) आयोग आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। (11) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। (12) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नं0, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिये। (13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (14) परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु 2 गुना अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे। साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है क्योंकि अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों (कतिपय पदों पर चयन उनकी सेवा-नियमावलियों में दी गई व्यवस्था के अनुसार केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा) के योग के आधार पर होगा। विभागवार पदों के लिए अधिमान्यतायें साक्षात्कार के समय भरायी जायेंगी जिनमें बाद में कोई परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। (15) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। (16) अभ्यर्थी O.M.R. उत्तर पत्र को भरने में केवल काले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (17) अभ्यर्थी OMR Answer Sheet की सभी प्रविष्टियाँ, सही-सही भरें। इन्हें रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में उनकी OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ओएमआर उत्तर पत्र को भरने में भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाये। (18) OMR Answer Sheets दो प्रतियों में, एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्त के पश्चात् अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे। (19) परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों में गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी:- 1. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपयुक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। (20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
2. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयुसीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम

सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों तथा दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमत्त नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

4. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हतायें आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिये।

5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-453/79-वी-1-15-1(का)14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6. किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7. यदि अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा Website पर "Contact us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8. फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है। परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट-2 पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का नमूना परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-04 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the top of the page, there is a Declaration. The candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully. Candidate has the option either to agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-line Application.

Notification Details :

This section shows information relevant to Notification

Personal Details

This section shows information about candidate's personal details i.e. Registration Number, candidate's name, Father/Husband's name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email ID and contact number.

Other Details of Candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army service duration and your physical deformity.

Education & Experience Details

Its shows your educational and experience details.

Candidate address, photo & signature details

Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time, if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using "Back" button you can modify your details.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE]

For other Information: For other Information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in>

CANDIDATE SEGMENT

NOTIFICATIONS/ADVTs
All Notification/Advertisements
ONLINE FORM SUBMISSION
1. Candidate Registration (First Stage)
2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)
3. Submit Application Form (Third Stage)
APPLICATION FORM STATUS
Update your transaction ID by Double Verification mode View Application Status
List of Applications Having photo related Objections
Print Duplicate Registration Slip
Print Detailed Application Form
EXAMINATION SEGMENT
Print Address Slip for sending Documents to commission [Only for Direct Recruitment]
DOWNLOAD SEGMENT
Download Admit Card
Download interview letter
Download Syllabus
Know your Registration No.
Click here to view Key Answer Sheet

Regarding Application :

1. On clicking "View Application status" option in Candidate Segment page you can see current status of candidate.
2. On clicking "Result" option in Candidate Segment page candidate can see result status of periodically.
3. "Interview/Exam Schedule" option in Candidate Segment page candidate can see interview and examination schedule details periodically.
4. On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet.
5. On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their Admit Card using with some basic credential of candidate.
6. On clicking "List of Rejected Candidate" candidate can view Rejected candidate list.
7. On clicking "Syllabus" candidate can view syllabus of particular examination.

[Candidates applying on-line need NOT send hard copy of the Online Application filled by them on-line or any other document/certificate/testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the On-line Application

and retain it for further communication with the UPPSC.] [The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions.] UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the Web-Link will be disabled.


परिशिष्ट-1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in *.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.
4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.
5. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.
6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-



परिशिष्ट - 2

जिन नगरों में परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं:- लखनऊ एवं प्रयागराज।

अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटायी/बढ़ाई जा सकती है।

परिशिष्ट - 3

उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
 स्थान हस्ताक्षर
 दिनांक पूरा नाम
 मुहर पद नाम
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
 स्थान हस्ताक्षर
 दिनांक पूरा नाम
 मुहर पद नाम
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या- दिनांक-

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री
 ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना
 तहसील जिला राज्य पिनकोड के स्थायी
 निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि
 वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है।
 इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
 I.II अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति,
 अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का
 पासपोर्ट साईज
 का अभिप्रमाणित
 फोटोग्राफ

हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित)
 पूरा नाम
 पदनाम
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
 मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/कस्बा
 पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील
 जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
 दिया है, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित
 जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
 2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु.
 (शब्दों में) है।
 3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति
 नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से
 कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात्
 निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
 III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य
 है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती
 हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता/जानती हूँ कि
 इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक
 सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के
 आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में
 विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

उ.प्र. के विकलांगों के लिए प्रमाण-पत्र

DISABILITY CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.

Date

DISABILITY CERTIFICATE

Recent photograph
 of the candidate
 showing the disability
 duly attested by the
 Chairperson of the
 Medical Board

This is to certified that Shri/Smt/Kum. son/wife/daughter of
 Shri age Sex identification
 mark (s) is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms.
 (ii) BA-Both arms affected
 (a) Impaired reach
 (b) Weakness or grip
 (iii) BLA-Both legs and both arms affected
 (iv) OL-One leg affected (right or left)
 (a) Impaired reach
 (b) Weakness of grip
 (c) Ataxic
 (v) OA-One arm affected
 (a) Impaired reach
 (b) Weakness of grip
 (c) Ataxic
 (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood)

(vii)MW- Muscular weakness and limited physical endurance

B. Blindness or Low Vision:

- (i) B-Blind
 (ii) PB-Partially Blind

C. Hearing impairment:

- (i) D-Deaf
 (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/ not likely to improve.
 Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of
 year months.
 3. Percentage of disability in his/her case is percent.
 4. Sh./Smt./Kum. meets the following physical requirements discharge of
 his/her duties:
- (i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes/No
 (ii) PP-can perform work by pulling & pushing. Yes/No
 (iii) L-can perform work by lifting. Yes/No
 (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. Yes/No
 (v) B-can perform work by bending. Yes/No
 (vi) S-can perform work by sitting. Yes/No
 (vii) ST-can perform work by standing. Yes/No
 (viii)W-can perform work by walking. Yes/No
 (ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No
 (x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No
 (xi) RW-can perform work by reading and writing. Yes/No

(Dr.)

(Dr.)

(Dr.)

Member

Member

Chairperson

Medical Board

Medical Board

Medical Board

Countersigned by the
 Medical Superintendent/
 CMO/HQ Hospital
 (with seal)

Strike out which is not applicable.

उ.प्र. लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और
 भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता
 संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम
 तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक
 सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण)
 अधिनियम1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)
 पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र)/पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा
 अविवाहित) उपर्युक्त अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती
 (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

स्थान

मुहर

दिनांक

जिलाधिकारी

सील

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं
 शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले
 खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की
 सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा
 श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से
 दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद
 का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये)
 में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद

संस्था का नाम.....

मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये
 हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने
 वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों
 पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/
 आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक
 से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट
 स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल-कूद का
 नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
 स्थान हस्ताक्षर
 दिनांक नाम
 पद
 संस्था का नाम
 पता
 मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
 स्थान हस्ताक्षर
 दिनांक नाम
 पद
 संस्था का नाम
 मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
 डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।
 यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
 स्थान हस्ताक्षर
 दिनांक नाम
 पद
 संस्था का नाम
 मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट-4

परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नवत दो प्रश्न-पत्र होंगे:-

प्रथम प्रश्न पत्र

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	समय
1-सामान्य हिन्दी	25 (प्रत्येक प्रश्न 3 अंक)	75	375	2.30 (ढाई) घण्टा
2-मुख्य विषय (सिविल इंजी०-I, मैके० इंजी०-I, विद्युत इंजी०-I, कृषि इंजी०-I)	100 (प्रत्येक प्रश्न 3 अंक)	300		

द्वितीय प्रश्न पत्र

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	समय
1-सामान्य अध्ययन	25 (प्रत्येक प्रश्न 3 अंक)	75	375	2.30 (ढाई) घण्टा
2-मुख्य विषय (सिविल इंजी०-II, मैके० इंजी०-II, विद्युत इंजी०-II, कृषि इंजी०-II)	100 (प्रत्येक प्रश्न 3 अंक)	300		

व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) - 100 अंक

कुल योग - 375 + 375 + 100 = 850 अंक

पाठ्यक्रम

सामान्य हिन्दी- हिन्दी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा ताकि उम्मीदवार की हिन्दी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जाँच हो सके। इसका स्तर हाई स्कूल का होगा।

सामान्य अध्ययन: सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र समसामयिक घटनाओं और ऐसी बातों की उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती हैं तथा जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। प्रश्न-पत्र में भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किये बिना ही दे सकेंगे।

CIVIL ENGINEERING

PAPER - 1

PART - A

ENGINEERING MECHANICS, STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURAL ANALYSIS.

Units and Dimensions, SI units, vectors, concept of force, Concept of particle and rigid body Concurrent, Non- Concurrent and parallel forces in a plane, moment of force and varignon's theorem free body diagram, conditions of equilibrium Principle of virtual work, equivalent force system.

First and second Moment of area, Mass moment of inertia, Static Friction, inclined plane and bearings, kinematics and kinetics, kinematics in Cartesian and Polar Coordinates, motion under uniform and non-uniform acceleration, motion under gravity, Kinetics of particle: Momentum and Energy principles, D'Alembert's principle, Collision of elastic bodies, rotation of rigid, bodies, simple harmonic motion.

STRENGTH OF MATERIALS:

Simple Stress and Strain, Elastic constants, axially loaded compression members, Shear force and bending moment, theory of simple bending, bending stress, Shear Stress, Beams of uniform strength, Leaf Spring, close coiled helical springs, Strain Energy in direct stress, bending & shear. Deflection of beams; Macaulay's method, Mohr's Moment area method, Conjugate beam method, unit load method, Torsion of shafts, Transmission of power, Elastic stability of columns, Euler's Rankin's and Secant formulae. Principal stresses and strains in two dimensions, Mohr's Circle, Theories of Elastic Failure, Thin and Thick cylinder, Stresses due to internal and external pressure- Lamé's equations.

STRUCTURAL ANALYSIS:

Castigliano's theorems I and II, Unit load method of consistent deformation applied to beams and pin jointed trusses. Slope-deflection, moment distribution, Kani's method of analysis and column Analogy method applied to indeterminate beams and rigid frames. Rolling loads and influence lines: Influence lines for reactions of beam, shear force and bending moment at a section of beam criteria for maximum shear force and bending moment in beams traversed by a system of moving loads, influence lines for simply supported plane pin jointed trusses, Arches: Three hinged, two hinged and fixed arches, rib shortening and temperature effects, influence lines in arches, Matrix methods of analysis: Force method and displacement method of analysis of indeterminate beams and rigid frames. Plastic Analysis of beams and frames: Theory of plastic bending, plastic analysis, statical method, Mechanism method. Unsymmetrical bending: Moment of inertia, product of inertia, position of neutral axis and principal axis, calculation of bending stresses.

PART - B

DESIGN OF STRUCTURES: STEEL, CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES.

STRUCTURAL STEEL DESIGN:

Structural steel: Factors of safety and load factors, rivetted, bolted and welded joints and its connections, Design by working, stress/limit state method of tension and compression member, beams of built up section, rivetted and welded plate girders, gantry girders, stanchions with battens and lacings, slab and gussetted column bases, Design of highway and railway bridges: Through and deck type plate girder, Warren girder, Pratt truss.

DESIGN OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES:

Reinforced Concrete: Working Stress and Limit State Method of design- Recommendations of B.I.S. codes, design of one way and two way slabs, stairs-case slabs, simple and continuous beams of rectangular, T and L sections, compression members under direct load with or without eccentricity, isolated and combined footings, Cantilever and counter-fort type retaining walls, Water tanks: Design requirements as per B.I.S. code for rectangular and circular tanks resting on ground, Prestressed concrete: Methods and systems of prestressing, anchorages, analysis and design of sections for flexure based on working stress, losses of prestress, Earth quake resistant design of building as per BIS code. Design of brick masonry as per I. S. Codes, Design of masonry retaining walls.

PART - C

Building Materials, Construction Technology, Planning and Management

Building Materials: Physical properties of construction materials with respect to their use: stones bricks, tiles, lime, glass, cement, mortars, Concrete, concept of mix design, pozzolans, plasticizers, super plasticizers, Special concrete: roller compacted concrete, mass concrete, self compacting concrete, ferro cement, fibre reinforced concrete, high strength concrete, high performance concrete, Timber: properties, defects and common preservation treatments, Use and selection of materials for various uses e.g. Low cost housing, mass housing, high rise buildings.

Constructions Technology, Planning and Management:

Masonry constructions using brick, stone, construction detailing and strength characteristics paints, varnishes, plastics, water proofing and damp proofing materials. Detailing of walls, floors, roofs, staircases, doors and windows. Plastering, pointing, flooring, roofing and construction features. Retrofitting of buildings, Principle of planning of building for residents and specific uses, National Building code provisions and uses. Basic principles of detailed and approximate estimating, specifications, rate analysis, principles of valuation of real property. Machinery for earthwork, concreting and their specific uses, factors affecting selection of construction equipments, operating cost of equipments. Construction activity, schedules, organizations, quality assurance principles. Basic principle of network CPM and PERT uses in construction monitoring, cost optimization and resource allocation. Basic principles of economic analysis and methods. Project profitability: Basis principles of financial planning, simple toll fixation criterions.

PART - D

GEO TECHNICAL ENGINEERING AND FOUNDATION ENGINEERING

Types of soils, phase relationships, consistency limits particles size distribution, classifications of soils, structure and clay mineralogy. Capillary water, effective stress and pore water pressure, Darcy's Law, factors affecting permeability, determination of permeability, permeability of stratified soil deposits. Seepage pressure, quick sand condition, compressibility and consolidation, Terzaghi's theory of one dimensional consolidation, consolidation test.

Compaction of soil, field control of compaction total stress and effective stress parameters, pore pressure parameters, shear strength of soils, Mohr Coulomb failure theory, shear tests.

Earth pressure at rest, active and passive pressures, Rankin's theory Coulomb's wedge theory, Graphical method of earth pressure on retaining wall, sheetpile walls, braced excavation, bearing capacity, Terzaghi and other important theories, net and gross bearing pressure.

Immediate and consolidation settlement, stability of slope, total stress and effective stress methods, conventional methods of slices, stability number.

Subsurface exploration, methods of boring, sampling, penetration tests, pressure meter tests, essential features of foundation, types of foundation, design criteria, choice of type of foundation, stress distribution in soils, Boussinesq's theory, Westergaard method, Newmarks chart, pressure bulb, contact, pressure, applicability of different bearing capacity theories, evaluation of bearing capacity from filed tests, allowable bearing

capacity, settlement analysis, allowable settlement, proportioning of footing, isolated and combined footings, rafts, pile foundation, types of piles, piles capacity, static and dynamic analysis, design of pile groups, pile load test, settlement of piles lateral loads, foundation for bridges, Ground improvement techniques: sand drains, stone columns, grouting, soil stabilization geotextiles and geomembrane, Machine foundation: Natural frequency, design of machine foundations based on the recommendation of B.I.S. codes.

CIVIL ENGINEERING PAPER- II

Part – A

FLUID MECHANICS, OPEN CHANNEL FLOW, HYDRAULIC MACHINES AND HYDROPOWER ENGINEERING.

Fluid Mechanics: Fluid properties and their roles in fluid motion, fluid statics including forces acting on plane and curved surfaces, Kinematics and Dynamics of Fluid flow: Velocity and acceleration, stream lines, equation of continuity, irrotational and rotational flow, velocity potential and stream functions, flownet, methods of drawing flownet, source and sink, flow separation, free and forced vortices.

Flow control volume equation, continuity, momentum and energy equations, Navier-Stokes equation, Euler's equation of motion and application to fluid flow problems, pipe flow, plane, curved, stationary and moving vanes sluice gates, weirs, orifice meters and Venturi meters.

Dimensional Analysis and Similitude: Buckingham's Pi-theorem, dimensionless parameters, similitude theory, model laws, undistorted and distorted models.

Laminar Flow: Laminar flow between parallel, stationary and moving plates, flow through pipes.

Boundary Layer: Laminar and turbulent boundary layer on a flat plate, laminar sub-layer, smooth and rough boundaries, submerged flow, drag and lift and its applications.

Turbulent flow through pipes: Characteristics of turbulent flow, velocity distribution, pipe friction factor, hydraulic grade line and total energy line, siphons, expansion and contractions in pipes pipe networks, water hammer in pipes and surge tanks.

Open Channel Flow: Flow types, uniform and nonuniform flows, momentum and energy correction factors, Specific energy and specific force, critical depth, resistance equations and roughness coefficient, rapidly varied flow, flow in transitions, Brink flow, Hydraulic jump and its applications, waves and surges, gradually varied flow, classification of surface profiles, control section, Integration of varied flow equation and their solution.

HYDRAULIC MACHINES AND HYDROPOWER:

Centrifugal pumps-Types, characteristics, Net Positive Suction-head (NPSH), specific speed, Pumps in series and parallel.

Reciprocating pumps, Air vessels, Hydraulic ram, efficiency parameters, Rotary and positive displacement pumps, diaphragm and jet pumps.

Hydraulic turbines: types, classification, Choice of turbines, performance parameters, controls, characteristics, specific speed.

Principles of hydropower development: Types, layouts and component works, surge tanks, types and choice, Flow duration curves and dependable flow, Storage and pondage, Pumped storage plants, Special types of hydel plants.

Part – B

Hydrology and Water Resources Engineering

Hydrology: Hydrologic cycle, precipitation, evaporation, transpiration, infiltration, overland flow, hydrographs, flood frequency analysis, flood routing through a reservoir, channel flow routing- Muskingam method.

Ground Water flow: Specific yield, storage coefficient, coefficient of permeability, confined and unconfined aquifers, radial flow into a well under confined and unconfined conditions, Open wells and tube wells.

Ground and surface water recourses single and multipurpose projects, storage capacity of reservoirs, reservoir losses, reservoir sedimentation.

Water requirements of crops consumptive use, duty and delta, irrigation methods, Irrigation efficiencies.

Canals: Distribution systems for canal irrigation, canal capacity, canal losses, alignment of main and distributory canals, Design of canal by Kennedy's and Lacey's theories, Water logging and its prevention.

Diversion head works: Components, Principles and design of weirs on permeable and impermeable foundations, Khosla's theory, Bligh's creep theory Storage works.

Cross drainage works.

Types of dams, design principles of gravity and earth dams, stability analysis. Spillways: Spillway types energy dissipation.

River training: Objectives of river training, methods of river training and bank protection.

Part – C

Transportation Engineering

Highway Engineering: Principles of Highway alignments, classification and geometric design, elements and standards for roads.

Pavement: flexible and rigid pavements Design principles and methodology. Construction methods and materials for stabilized soil. WBM, Bituminous works and Cement Concrete roads.

Surface and sub-surface drainage arrangements for roads, culvert structures. Pavement distresses and strengthening by overlays.

Traffic surveys and their application in traffic planning, Typical design features for channelized, intersection, rotary etc., signal designs, standard traffic signs and markings.

Railway Engineering: Permanent way, ballast, sleeper, chair and fastenings, points, crossings, different types of turn outs, cross-over, setting out of points, Maintenance of track, super elevation, creep of rails ruling gradients, track resistance tractive effort, curve resistance, Station yards and station buildings, platform sidings, turn outs, Signals and interlocking, level crossings.

Air port Engineering: Layouts, Planning and design.

Part – D

Environmental Engineering

Water supply: Estimation of water demand, impurities in water and their significance, physical, chemical and bacteriological parameters and their analysis, waterborne diseases, standards for potable water.

Water collection & treatment: Intake structures, principles and design of sedimentation tank, coagulation cum flocculation units slow sand filter, rapid sand filter and pressure filter, theory & practices of chlorination, water softening, removal of taste and salinity, Sewerage Systems, Domestic and industrial wastes, storm, sewage, separate and

combined systems, flow through sewers, design of sewers.

Waste water characterization: Solids, Dissolved oxygen (DO), BOD COD, TOC, and Nitrogen, Standards for disposal of effluent in normal water course and on to land.

Waste water treatment: Principles and design of wastewater Treatment units-- Screening, grit chamber, sedimentation tank activated sludge process, trickling filters, oxidation ditches, oxidation ponds, septic tank; Treatment and disposal of sludge; recycling of waste water.

Solid waste management: Classification, Collection and disposal of solid waste in rural and urban areas, Principles of solid waste management.

Environmental pollution: Air and water pollution and their control acts. Radioactive waste and their disposal Environmental impact assessment of Thermal power Plants, mines and river valley projects, Sustainable development.

Part – E

Survey and Engineering Geology

(a) **Surveying:** Common methods and instruments for distance and angle measurements in Civil Engineering works, their use in plane table traverse survey, levelling, triangulation, contouring and topographical maps. Survey layouts for culverts canal, bridge, roads, railway alignment and buildings.

Basic principles of photogrammetry and remote sensing.

Introduction to Geographical information system.

Engineering Geology

Basic concepts of Engineering geology and its applications in projects such as dams, bridges and tunnels.

MECHANICAL ENGINEERING

PAPER-I

1. Engineering Mechanics:

Analysis of force systems, friction, centroid and centre of gravity, trusses and beams, principle of virtual work, kinematics and kinetics of particle, kinematics and kinetics of rigid bodies.

2. Mechanism and Machines:

Velocity and acceleration of links, cams and followers gears and gear trains clutches, belt drives, brakes and dynamometers, Flywheel and governors, balancing of rotating and reciprocating masses, balancing of multi cylinder engines, Free and forced vibration, damped vibration, whirling of shafts.

3. Mechanics of Solids:

Stresses and strains, compound stresses strains, Torsion of circular shafts, stresses and deflections in beams unsymmetrical bending, curved beams, Thin and thick cylinders and spheres, Buckling of columns, Energy methods, helical and leaf springs.

4. Design of Machine Elements:

Design for Static and dynamic loading, Theories of failure, fatigue principles of design of riveted, welded and bolted joints, shafts, springs, bearings, brakes, clutches and flywheels.

5. Engineering Materials:

Crystal systems and crystallography, crystal imperfections, Alloys and phase diagrams, Heat treatment, ferrous and non ferrous metals and alloys, Mechanical properties and testing.

6. Manufacturing:

Metal casting, metal forming, metal joining, Mechanics of metal cutting, machining and machine tool operations, unconventional machining methods limits, fits and tolerances, inspection: Surface roughness, comparators, computer integrated manufacturing, Flexible manufacturing systems, jigs and fixtures

7. Industrial Engineering:

Production, planning and control, inventory control and operation, research, CPM and PERT.

8. Mechatronics and Robotics:

Microprocessors and microcontrollers, Architecture, Programming, Computer interfacing Programmable logic controller, sensors and actuators, Piezoelectric accelerometers, Hall effect sensors, optical encoder, resolver, Inductosyn, Pneumatic and Hydraulic Actuators, stepper motor, control system, mathematical modeling, control signals, controllability and observability, Robotics: Robot classification, robot specification. Notation: Direct and inverse kinematics homogeneous co-ordinates and arm equation of four axis SCARA Robot.

MECHANICAL ENGINEERING

PAPER-II

1. Thermodynamics:

Thermodynamic systems and processes, properties of pure substances, concepts and applications of zeroth, first and second law of thermodynamics, entropy, availability and irreversibility, detailed analysis of thermodynamic cycles, ideal and real gases, fuels and combustion.

2. Fluid Mechanics:

Basic concepts and properties of fluids, manometry, fluid statics, buoyancy, equations of motion, Bernoulli's equation and applications, viscous flow of incompressible fluids, laminar and turbulent flows, flow through pipes and head losses in pipes, dimensional analysis, Forces on immersed bodies and boundary layer over a flat plate, isentropic and adiabatic flows, normal shock waves.

3. Heat Transfer:

Modes of heat transfer, steady and unsteady heat conduction, thermocouple time constant, critical thickness of insulation, heat transfer from fins, momentum and energy equations for boundary layer flow on a flat plate. Free and forced convection, radiation heat transfer, Stefan-Boltzmann law, shape factor, black and grey body radiation heat exchange, boiling and condensation, heat exchanger analysis, LMTD and NTU – effectiveness methods.

4. Energy conversion:

SI and CI engines, performance characteristics and testing of IC engines, combustion phenomena in SI and CI engines, carburetion and fuel injection systems, emissions and emission control. Reciprocating and rotary pumps, pelton wheel, Francis and Kaplan turbines, velocity diagrams impulse and reaction principles steam and gas turbines; Rankine and Brayton cycles with regeneration and reheat, high pressure boilers, draft, condensers. Unconventional power systems, including nuclear, MHD, biomass, wind and tidal systems, utilization of solar energy; Reciprocating and rotary compressors; theory and applications, Theory of propulsions, pulsejet and ramjet engines.

5. Environmental control:

Vapour compression, vapour absorption, steam jet and air refrigeration systems, properties of refrigerant and their nomenclature, psychometrics properties and processes, psychrometric relations, use of psychrometric chart, load estimation, supply air conditions, sensible heat factors, air conditioning system layout, comfort chart, comfort and industrial air conditioning.

ELECTRICAL ENGINEERING

PAPER – I

Networks and Systems: Steady-state and Transient-state Analysis of systems, Thevenin's-, Norton's-, Superposition- and Maximum Power Transfer-theorems, Driving point Transfer functions, Two-port networks, Laplace and Fourier transforms and their applications in Network analysis, Z-transforms for discrete systems, R-L, R-C & L-C network synthesis.

E.M. Theory: Analysis of electrostatic and magnetostatic fields, Laplace, Poisson and Maxwell equations, solution of boundary value problems, electromagnetic wave propagation, ground and space waves, Propagation between Earth Station and Satellites.

Control systems: Mathematical modelling of dynamic linear continuous systems, Block diagrams and Signal flow graphs, time-response specifications, steady-state error, Routh-Hurwitz criterion, Nyquist techniques, Root Loci, Bode Plots, Polar Plot, and stability analysis, Lag-, Lead-, Lag-Lead-compensation, state-space modelling, state transition matrix, controllability and observability.

Elements of Electronics: Basics of semiconductor diodes, BJT, FET and their characteristics, different types of transistors and FET amplifiers equivalent circuits and frequency response, feedback oscillators, colpitts oscillator and Hartley Oscillator, Operational amplifiers-characteristics and applications.

Power System Analysis and Design: Line parameters and calculations, Performance of Transmission lines, Mechanical design of overhead lines and Insulators, Corona and radio interference Parameters of single- and three-core Cables, Bus admittance matrix, Load flow equations and methods of solutions, Fast-decoupled load flow, Balance- and Unbalanced-faults analysis, Power system stability, Power system transients and travelling Waves, EHV Transmission, HVDC transmission, Concepts of FACTS, Voltage Control and Economic operation, Concepts of distributed generation, solar and wind power, smart grid concepts.

Elements of Electrical Machines:- General concepts of E.m.f., m.m.f., and torque in rotating machines, DC Machines: motor and generator characteristics, equivalent circuits, commutation and amature reaction, starting and speed controls of motors; Synchronous Machines: performance, regulation, Parallel operation of generators, motor starting, characteristics and applications, Transformers: phasor-diagram and equivalent circuit, efficiency, and voltage regulation, auto-transformers, 3-phase transformers.

Measurement: Basic methods of measurement, Precision and standards, error analysis, Bridges and Potentiometers; moving coil, Moving iron, dynamometer and induction type instruments, measurement of voltage, current, power, energy, and power factor, Instrument transformers, digital voltmeters and multimeters, phase-, time- and frequency-measurement, Q-meters Oscilloscopes, Basics of sensors, and data acquisition system, Instrumentation systems for pressure and temperature measurements.

ELECTRICAL ENGINEERING

PAPER – II

Power Electronics and Drives: Semiconductor, power, diodes, transistors, thyristors, triacs, GTOs, MOSFETs and IGBTs static characteristics and principles of operation, triggering circuits single phase and three-phase controlled rectifiers-fully controlled and half controlled, smoothing and filters regulated power supplies, DC-DC choppers and inverters, speed control circuits for DC and A.C. drives, Basics of electric drives: types, quadrant operation, reversing and braking of electric motors, estimation of power ratings, traction motors.

Digital Electronics: Boolean algebra, logic gates, combinational and sequential logic circuits, multiplexers, multivibrators, sample and hold circuits, A/D and D/A converters, basics of filter circuits and applications, active filters, semiconductor memories.

Microwaves and Communication systems: Electromagnetic wave in guided media, wave guide components, resonators, microwave tubes, microwave generators and amplifiers.

Analog Communication basics: modulation and demodulation, noise and bandwidth, transmitters and receivers, signal to noise ratio, digital communication basics, sampling, quantizing, coding frequency- and time-domain multiplexing, sound and vision broadcast, antennas, transmission lines at audio and ultra-high frequencies.

Induction and special Machines: Three-phase Induction motors Rotating magnetic field, Torque-slip characteristics, Equivalent Circuit and determination of its parameters, starters, speed control, Induction generators. Single phase Induction motors: Theory and phasor diagrams, characteristics, starting and applications, repulsion motor, series motor: E.m.f. equation and phasor diagram and performance, servomotors, stepper motors, reluctance motors, brushless DC motors (BLDC).

Power system protection and Switch gear: Methods of Arc Extinction, Restriking voltages and recovery voltage, testing of circuit breakers, Protective relays, protective schemes for power system equipment, surges in transmission lines and protection.

Numerical Methods: Solution of non linear algebraic equations, single and multisteps methods for solution of differential equations.

Electrical Engineering Materials: Crystal structure and defects, conducting, insulating and magnetizing Materials, super-conductors.

Elements of Microprocessors : Data representation and representation of integer and floating point-numbers. Organization and programming of a microprocessor, ROM and

RAM memories CPU of a microcomputer, interfacing memory and I/O devices, Programmable peripheral and communication interface. Application of microprocessors.

AGRICULTURAL ENGINEERING

PAPER-I

(a) Thermodynamics and Heat Engines: Concept of energy, temperature and heat equations; laws of thermodynamics, pure substances and their properties; entropy, Rankine, air standard Otto, Diesel and Joule cycles; indicator diagrams.

(b) Farm Power: Sources and status of power in India; farm power and agricultural productivity relationship; construction and operational features of IC engines, various system of IC engine namely carburetion, ignition, cooling, lubrication; valves and valve timing, special features of diesel engines, tractors and their classification, power transmission, repair and maintenance; tractor testing, and tractor economics; power tillers – their economics and suitability, Energy in Agriculture.

(c) Farm Machinery: Design, construction, operation, repair and maintenance of tillage tools, implements and equipment viz. mould board and disk plough; harrows, cultivators, rotary tiller, seeding and planting machines, hoe, weeders, sprayers and dusters; harvester, threshers and combines; soil and crop factors influencing machine performance and energy requirements; selection of farm machines, economics of agricultural mechanization. Earth moving machineries.

(d) Heat and Mass Transfer: Thermal properties of materials; steady state and transient heat conduction, natural and forced convection; boiling, condensation, thermal radiation exchange, Heat exchangers, heat and mass transfer analogy; Fick's laws of diffusion, psychrometrics; analysis of heat and mass transfer processes, instrument and measurement systems.

(e) Process and Food Engineering : Unit operations in post harvest processing (cleaning, grading, drying, size reduction, evaporation, pasteurization, distillation etc.); processing of cereals, pulses, oilseeds, fruits & vegetables, animal feed, spices, dairy products, meat etc.; design of processing equipment and systems, milking machines.

(f) Storage and handling: Changes in stored products during storage; storage of food grains and their products, perishables (vegetable, fruits, dairy product, meat and eggs) storage system- air tight ventilated, refrigerated, modified atmospheric and controlled atmospheric storages; packaging; conveyors; design and management of storage and handling systems. Reducing losses in storages and handling.

AGRICULTURAL ENGINEERING

PAPER-II

(a) Hydraulics and Fluid Mechanics: Fluid properties, units and dimensions: surface tension and capillarity, equation of continuity, Bernoulli equation, Laminar and turbulent flow, steady and unsteady flow, Flow of fluids in pipes and open channels, design of open channels for non erosive and non silting velocities, most economical cross section, measurement of irrigation water and other water measuring devices viz. weirs, notches, orifices and flumes.

(b) Surveying and Leveling: Linear measurements; survey methods and devices used; principle of leveling, simple, differential and profile leveling; Contouring and characteristics of contour lines; Land leveling and grading, earth work estimation.

(c) Soil and Water Conservation Engineering: Forms of precipitation; hydrologic cycle; Point rainfall analysis, frequency analysis, agricultural watershed and its management; water management in agri-horti-aquaculture system, mechanics of water and wind erosion; Rational method of prediction of peak runoff and its limitations; concept of unit hydrograph and instantaneous hydrograph; factors affecting erosion and runoff; water erosion control measures – contour cultivation, strip cropping, terracing, afforestation, pastures; Design of gully control structures – temporary and permanent; stream bank erosion; flood routing; flood amelioration by upstream soil water management; wind erosion control measures and sand dunes stabilization.

(d) Irrigation Pumps: Design, construction, performance characteristics, selection, installation, servicing and maintenance of different pumps (reciprocating, centrifugal, gear, turbine, submersible, propeller, jet); Hydraulic ram; Renewable and non-renewable power sources for pumping solar pumps.

(e) Irrigation and Drainage Engineering: Water wealth and irrigation in India; Soil water plant relationship; Forms and occurrence of soil water; methods and devices for soil moisture measurement; water requirement of crops; irrigation scheduling; irrigation methods – their hydraulics and design flood, border, furrow, sprinkler and drip irrigation, concept of irrigation efficiencies; water conveyance and control; Design of canals. Lacey and Kennedy's theories.

Drainage needs and its benefits; Darcy's Law, hydraulic conductivity; drainage coefficient; drainage methods, surface drainage (drainage of flat and sloping lands); design of open ditches their alignment and construction; designs and layout of subsurface drains; depth and spacing of drains and drainage outlets; installation of drains and drainage wells; drainage of salt affected areas.

(f) Ground Water Hydrology and Tube well Engineering: Occurrence and movement of ground water, steady and transient flow into wells, well interference, well drilling, design of well assembly and gravel pack, installation of well screen, completion and development of wells.

(g) Rural Engineering: Building materials and their properties; Farmstead planning, and design of dairy barns; poultry, goat-sheep, and piggery housing; selection of site, planning and design of rural houses, farm roads, village drainage; waste disposal and sanitary structures; cost estimates, green house construction.